28.06.2019

अभियोजन अधिकारी उपस्थित। अभियुक्त कालुराम अनुपस्थित।

प्रार्थी/वाहन स्वामी सिकंदर खान मय वकील श्री विकास परिहार उपस्थित। प्रार्थी/वाहन स्वामी सिकंदर खान द्वारा प्रार्थना पत्र मय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. क्रिमिनल मिस. पिटिशन नं. 2150/2019 सिकंदर खान बनाम राज्य में पारित आदेश दिनांक 27.05.2019 की प्रमाणित प्रति पेश करने पर पत्रावली आज की पेशी में ली गई। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का ससम्मान अवलोकन किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के आदेश दिनांक 08.04.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत याचिका स्वीकार करते हुए जब्तशुदा वाहन बिना नंबरी डम्पर इंजन नंबर 81E84485570 व चैसिस नंबर MAT449053J5E15860 को आदेश में वर्णित शर्तों पर एवं प्रार्थी द्वारा दस हजार रूपये विचारण न्यायालय के समक्ष बतौर सिक्योरिटी जमा करवाने पर सुपुर्दगी पर देने का आदेश किया है। प्रार्थी की ओर से दस हजार रूपये जमा करवाये गये जो जरिये रसीद राजकोश में जमा किये गये।

प्रार्थी की ओर से वाहन का बिल, इंश्योरेंस की प्रति व प्रार्थी के लाईसेंस की प्रति पेश की गई, वाहन के बिल व इंश्योरेंस के अवलोकन से जब्तशुदा वाहन प्रार्थी सिकंदर खान के स्वामित्व का प्रतीत होता है तथा प्रार्थी ही इस वाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ अधिकारी प्रतीत होता है। अन्य कोई दावाकर्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है।

प्रार्थी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में 22 लाख रूपये का स्वयं का सुपुर्दगीनामा व 11-11 लाख रूपये के दो जमानतियों के बंध पत्र इस आशय के पेश कर तस्दीक करा दें कि वह उक्त वाहन को यथावत रखेगा और इसकी पहचान में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, न्यायालय द्वारा पहचान हेतु तलब करने पर

वाहन को पेश कर देगा तथा वाहन को बेचान, हस्तांतरण, नष्ट नहीं करेगा और न ही किसी प्रकार खुर्द बुर्द करेगा, तो उक्त वाहन प्रार्थी को सुपुर्दगी पर प्रदान किया जावे।

आदेशानुसार प्रार्थी ने सुपुर्दगीनामा व जमानतनामे पेश किये, दस हजार रूपये की सिक्योरिटी राशि जमा करवायी जा चुकी है। अतः थानाधिकारी पुलिस थाना सुमेरपुर को तहरीर जारी हो कि प्रकरण में जब्तशुदा वाहन डंपर इंजन नंबर 81E84485570 व चैसिस नंबर MAT449053J5E15860 की यदि किसी अन्य प्रकरण में रोके जाने की आवश्यकता न हो तो प्रार्थी सिकन्दर खान को बएवज रसीद सुपुर्द किया जावे और सुपुर्दगी से पूर्व प्रार्थी के खर्चे पर वाहन के सभी एंगल से रंगीन फोटो खिंचवाये जावे जो रसीद के साथ न्यायालय में पेश किये जावे।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सुमेरपुर जिला पाली।